न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 74/2021 (Rcms No:-2021/127)

उनवानी प्रकरण :–

प्रशान्त चौधरी उम्र करीव 28 वर्ष पुत्र श्री जयवीर सिंह जाति जाट निवासी औडेला रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ––––––––––––––––––––प्रार्थी।

बनाम

1–आवंटन सलाहकार समिति धौलपुर जरिये उपखण्डाधिकारी धौलपुर
2–तहसीलदार धौलपुर
3–रामबावू पुत्र ब्रजलाल उर्फ विरजू जाति अहीर निवासी कायस्थपाडा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ––––––––––––––––––––––––अप्रार्थीगण।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :–	श्री भगवती प्रसाद झां एडवोकेट
अप्रार्थी सं01व2 की ओर से :–	श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी सं0 3 की ओर से :–	श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–25.02.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 358 रकवा 01 बीधा साविक खसरा नम्बर 517 रकवा 19 विस्वा किस्म रास्ता व 548 रकवा 6 विस्वा से बना है आराजी खसरा नम्बर साविक 517 रकवा 5 वीधा 7 विस्वा किस्म रास्ता था। साविक खसरा नम्बर 517 रकवा 19 विस्वा व 548 रकवा 6 विस्वा लेकर बन्दोबस्त विभाग ने इसका वर्तमान खसरा नम्बर 358 बनाया जिसका रकवा 1 बीधा है तथा बन्दोवस्त ने उक्त खसरा नम्बर की किस्म रास्ता से बदल दी जिसका बन्दोवस्त विभाग को कोई कानूनन अधिकार नहीं था तथा बन्दोवस्त पूर्व किस्म रास्ता दर्ज है जिसका किसी भी व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या–3 रामबावू पुत्र विरजू एक राजस्व कर्मचारी था तथा उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ ड्राइवर के पद पर तैनात था उसी पद से 6 वर्ष पूर्व

रिटायर्ड हो चुका है जो कभी किसान नहीं रहा तथा राजस्व कर्मचारी था। इसने राजस्व कर्मचारियों से साज कर पहले तो रास्ते के खसरा नम्बर 517 को बन्दोबस्त विभाग से सिवायचक दर्ज कराया तथा नया नम्बर 358 दर्ज कराया तथा फिर दिनांक 27.6.1976 को उपखण्डाधिकारी के ड्राईवर पद पर तैनात रहते उन्ही से अपने नाम आवंटन पत्र हासिल किया। आराजी खसरा नम्बर 358 पर कभी भी अप्रार्थी संख्या–3 रामबावू का कब्जा नहीं रहा। आवंटन की गैरखातेदारी का दाखिला 57 दिनांक 02.11.1980 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा दर्ज किया गया तथा राजस्व कैम्प ओदी में बिना आराजी पर कब्जा के दिनांक 28.05.1989 को खातेदारी प्रदान कर दी जिसका खातेदारी का दाखिला नम्बर 136 है। आवंटन से पूर्व व आवंटन हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार कोई अधिसूचना अथवा सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई। उक्त भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं हुई है फिर भी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गये। अतः आवंटी रामबावू के पक्ष हुआ आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2013 से 16, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 358 ग्राम ओडेला, नकल खसरा बन्दोवस्ती, नकल जमाबन्दी बन्दोवस्त सम्बत 2028, नकल नामान्तकरण संख्या 57 संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2037 से 40, नकल नामान्तकरण संख्या 136 खातेदारी वहक रामबावू संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2046–49, नकल जमाबन्दी सम्बत 2046–49, नकल जमाबन्दी सम्बत 2076–79 बॉके ग्राम ओडेला तहसील धौलपुर पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गोपालनारायन राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये उनकी ओर से कोई जबाव पेश नही किया गया। अप्राथी संख्या–3 रामबावू की ओर से श्री दीनदयाल शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया तथा उनकी ओर से नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 358 रकवा 01 बीघा किस्म बंजड बांके ग्राम ओडेला तहसील धौलपुर का दिनांक 27.6.1976 को आवंटन सलाहकार समिति धौलपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 रामबावू अलौटी के हक में छोटी पटटी के रूप में किया गया आवंटन नियमानुसार था क्योंकि आवंटन के समय खसरा नम्बर 358 रकवा 01 बीघा भूमि की किस्म बंजड थी जो मौके पर खाली थी और आवंटन के योग्य थी। वक्त आवंटन आराजी की किस्म गैरमुमकिन रास्ता नहीं थी। नियम 14(4) के आधीन आवंटन नियम 1970 की कार्यवाही में बन्दोवस्त की कोई कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है। नियम 14(4) में बन्दोबस्त विभाग की किसी कार्यवाही को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। कानूनन महकमा बन्दोबस्त की किसी भी कार्यवाही को केवल नियमित वाद दायर करके ही सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज किया जा सकता है। आवंटी का आवंटित आराजी पर कब्जा वक्त आवंटन से ही चला आ रहा है आवंटी तथा उसके

पिता व बाबा काश्तकार रहे है। आवंटी के हक में किया गया आवंटन विधिवत उदघोषणा करके किया गया था। अप्रार्थी संख्या–3 अलौटी रामबावू वक्त आवंटन किसी भी पद पर राजस्व कर्मचारी नहीं था। जबाव के साथ अप्रार्थी रामबावू अपनी सेवाप्रमाण पत्र की प्रति पेश कर रहा है जो अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय धौलपुर द्वारा दिनांक 10.12.2010 को जारी किया था जिसमें आवंटी रामबावू की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.2.1977 को चैनमैन के पद पर हुयी थी तथा जन्म तिथि दिनांक 18.06.1954 है और सेवा निवृति तारीखी 30.6.2014 है। आवंटी रामबावू वक्त आवंटन राजस्व कर्मचारी नहीं था और उसका आवंटित आराजी पर कब्जा वक्त आवंटन से ही चला आ रहा है और आज भी काबिज है तथा काश्त कर रहा है। आवंटी को नियमानुसार आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात वर्तमान प्रार्थना पत्र नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 चलने योग्य नहीं है और इसके द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटी उत्तरदाता के उक्त आवंटन को निरस्त कराने के लिए पूर्व में लटूआराम बगैरा द्वारा नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत सन 2010 में न्यायालय अति0जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष कार्यवाही की थी जिसका मुकद्दमा संख्या 05/2010 उनवानी लटूआराम वगैरा बनाम रामबावू था। जिसकी विधिवत सुनवायी के बाद दिनांक 29.4.2011 को उक्त प्रकरण अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने खारिज कर दिया था तथा आवंटी रामबावू के हक में हुये आवंटन को बहाल रखा था। न्यायालय अति0जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.4.2011 के विरूद्व लटूआराम बगैरा द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष अपील पेश की थी। अपील संख्या 22/2011 उनवानी लटूआराम बगैरा बनाम रामबावू थी। जिसकी विधिवत सुनवायी के पश्चात अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.3.2017 को उक्त अपील खारिज कर दी और न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 29.4.2011 यथावत रखा गया और आवंटी का आवंटन बहाल रखा गया जिसकी विरूद्व कोई अपील नहीं की गयी। इस प्रकार आवंटी के उक्त आवंटन के विरूद्व पूर्व में हुये निर्णयों से यह प्रकरण रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त से बाधित होने के चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जा खर्चा के निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 29.4.2011, नकल निर्णय आरएए भरतपुर कैम्प धौलपुर दिनांक 17.3.2017, नकल आवंटन प्रार्थना पत्र रामबावू दिनांक 27.6.1976, फोटो प्रति नकल आवंटन आदेश मय प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 142, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 106 सम्बत 2076–79, नकल नक्शा अक्स, फोटो प्रति नक्शा खसरा नम्बर 360,358,362 ग्राम ओडेला, फोटोप्रति नकल आदेश अति0जिला कलक्टर धौलपुर बावत सेवा निवृति, पेश किये है।

हमने उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 358 रकवा 01 बीघा सविक खसरा नम्बर 517 रकवा 19

विस्वा किस्म रास्ता व 548 रकवा 6 विस्वा से बना है आराजी खसरा नम्बर सविक 517 रकवा 5 वीधा 7 विस्वा किस्म रास्ता था। सविक खसरा नम्बर 517 रकवा 19 विस्वा व 548 रकवा 6 विस्वा लेकर बन्दोबस्त विभाग ने इसका वर्तमान खसरा नम्बर 358 बनाया जिसका रकवा 1 बीधा है तथा बन्दोवस्त ने उक्त खसरा नम्बर की किस्म रास्ता से बदल दी जिसका बन्दोवस्त विभाग को कोई कानूनन अधिकार नहीं था तथा बन्दोवस्त पूर्व किस्म रास्ता दर्ज है जिसका किसी भी व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटी रामबावू एक राजस्व कर्मचारी था तथा उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहाँ ड्राइवर के पद पर तैनात था उसी पद से 6 वर्ष पूर्व रिटायर्ड हो चुका है जो कभी किसान नहीं रहा तथा राजस्व कर्मचारी था। उपखण्डाधिकारी के ड्राईवर पद पर तैनात रहते उन्ही से अपने नाम आवंटन कराया। आराजी खसरा नम्बर 358 पर कभी भी आवंटी रामबावू का कब्जा नहीं रहा। उक्त भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं हुई है फिर भी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गये। आवंटी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या–3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 358 रकवा 01 बीधा किस्म बंजड ग्राम ओडेला का दिनांक 27.6.1976 को आवंटन आवंटी रामबावू के हक में कब्जे के आधार पर छोटी पटटी के रूप में विधिवत आवंटन किया गया था तथा दिनांक 02.11.1980 को गैरखातेदारी का दाखिल खारिज संख्या 57 एवं दिनांक 28.5.1989 को खातेदारी का दाखिल खारिज संख्या 136 आवंटी रामबावू के हक में तस्दीक किया गया। उक्त आराजी की किस्म वरवक्त आवंटन के समय बंजड थी जो आवंटन योग्य थी। वक्त आवंटन गैरमुमकिन रास्ता की भूमि नहीं थी। नियम 14(4) के आधीन आवंटन नियम 1970 की कार्यवाही में बन्दोवस्त की कोई कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है। नियम 14(4) में बन्दोबस्त विभाग की किसी कार्यवाही को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। कानूनन महकमा बन्दोबस्त की किसी भी कार्यवाही को केवल नियमित वाद दायर करके ही सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज किया जा सकता है। वक्त आवंटन आवंटी रामबावू किसी भी पद पर राजस्व कर्मचारी नहीं था। आवंटी रामबावू का कब्जा आवंटित आराजी पर वक्त आवंटन से ही चला आ रहा है। आवंटी को नियमानुसार आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने जाने के पश्चात नियम 14(4)भूमि आवंटन नियम 1970 के द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटी रामबावू के उक्त आवंटन को निरस्त कराने के लिये पूर्व में लटूआराम बगैरा द्वारा नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत सन 2010 में न्यायालय अति0जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष कार्यवाही की थी जिसका मुकद्वमा संख्या 05/2010 उनवानी लटूआराम वगैरा बनाम रामबावू था। जिसकी विधिवत सुनवायी के बाद दिनांक 29.4.2011 को उक्त प्रकरण अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने खारिज कर दिया था तथा आवंटी रामबावू के हक में हुये आवंटन को बहाल रखा था। न्यायालय अति0जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.4.2011 के विरूद्व लटूआराम बगैरा द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष अपील पेश की थी। अपील संख्या

22/2011 उनवानी लटूआराम बगैरा बनाम रामबावू थी। जिसकी विधिवत सुनवायी के पश्चात अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.3.2017 को उक्त अपील खारिज कर दी और न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 29.4.2011 यथावत रखा गया और आवंटी का आवंटन बहाल रखा गया जिसके विरूद्व कोई अपील नहीं की गयी। इस प्रकार आवंटी के उक्त आवंटन के विरूद्व पूर्व में हुये निर्णयों से यह प्रकरण रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त से बाधित होने होने से प्रकरण खारिज किया जावे। आवंटी के हक में हुआ उक्त आवंटन आदेश अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के उक्त निर्णय से कन्फर्म(मर्ज) हो गया और इस प्रकार न्यायालय श्रीमान अपनी ऊपरी न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) के आदेशों के विरूद्व न तो कोई सुनवाई ही कर सकते है और ना ही उसके विरूद्व कोई निर्णय दे सकते है। उन्होन अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 1993 पेज 417, आर आर डी 1986 पेज 137, आर आर डी 1987 पेज 371,आर आर टी 2008(1) पेज 707 की नजीरें पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 27.6.1976 को हुये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से करीव 44 वर्ष पश्चात पेश किया है। उक्त आराजी की किस्म वखवक्त आवंटन के समय बंजड थी जो आवंटन योग्य थी। वक्त आवंटन गैरमुमकिन रास्ता की भूमि नहीं थी। नियम 14(4) के आधीन आवंटन नियम 1970 की कार्यवाही में बन्दोवस्त की कोई कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है। नियम 14(4) में बन्दोबस्त विभाग की किसी कार्यवाही को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। कानूनन महकमा बन्दोबस्त की किसी भी कार्यवाही को केवल नियमित वाद दायर करके ही सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज किया जा सकता है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय 1993 आर आर डी पेज 417 में प्रतिपादित किया है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना करने के पश्चात ही आवंटी को आवंटित आराजी पर खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4)भूमि आवंटन नियम 1970 के द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 1986 आर आर डी पेज 137 एवं आर आर डी 1987 पेज 371 पर प्रतिपादित किया है। आवंटी के उक्त आवंटन को निरस्त कराने के लिये पूर्व में लटूआराम बगैरा द्वारा नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत सन 2010 में न्यायालय अति0जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष कार्यवाही की थी जिसका मुकद्वमा संख्या 05/2010 उनवानी लटूआराम वगैरा बनाम रामबावू था। जिसकी विधिवत सुनवायी के बाद दिनांक 29.4.2011 को उक्त प्रकरण अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने खारिज कर दिया था तथा आवंटी रामबावू के हक में हुये आवंटन को बहाल रखा था। न्यायालय अति0जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.4.2011 के विरूद्व लटूआराम बगैरा द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष अपील पेश की थी। अपील संख्या 22/2011 उनवानी लटूआराम बगैरा बनाम

रामबावू थी। जिसकी विधिवत सुनवायी के पश्चात अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.3.2017 को उक्त अपील खारिज कर दी और न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 29.4.2011 यथावत रखा गया और आवंटी का आवंटन बहाल रखा गया जिसके विरूद्व कोई अपील नहीं की गयी। इस प्रकार आवंटी के उक्त आवंटन के विरूद्व पूर्व में हुये निर्णयों से यह प्रकरण रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त से बाधित है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों से हम पूर्णत सहमत है। उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना व आवंटन यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 27.6.1976 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर

(आर0के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर